ग्वालियर(म.प्र.)

(कैम्प इंदौर म.प्र.)

R 290-PBR-17

रा.पुनरीक्षण याचिका क्र
श्रवण दिनांक

1. मोहिनउद्दीन पिता सैयद मुनीर निवासी ग्राम मोहद तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

—— याचिकाकर्ता/अनावेदक क्र 1

विरुद्ध

1. हफीजा बेगम पति इसामुद्दीन मास्टर पुत्री सैयद मुनीर निवासी ग्राम अंतुर्ली तहसील मुक्ताईनगर जिला जलगॉव महाराष्ट्र
2. अफजल साहब पिता मेहबुब साहब निवासी ग्राम मोहद तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.
3. सैयद अकरम पिता सैयद फजल निवासी बेल दलाल की मस्जिद के पास लोहारमंडी के पास गली मे बुरहानपुर म.प्र.
4. शेख अकबर पिता अब्दुल समद निवासी ग्राम मोहद तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.
5. शेख जावेद पिता अब्दुल समद निवासी ग्राम मोहद तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.
6. जुलेखा बानो पति बहादुरउद्दीन पुत्री अब्दुल समद निवासी ग्राम बहारपुरा ग्राम अंतुर्ली तहसील मुक्ताईनगर जिला जलगॉव महाराष्ट्र
7. शकिला बानो पति आरिफ एडव्होकेट पुत्री अब्दुल समद निवासी वायली बेस जलगॉव जामोद जिला बुलढाणा महाराष्ट्र
8. नजमा बानो पति इमरान पुत्री अब्दुल समद निवासी ग्राम बडौदा ताल्लुका मुक्ताईनगर जिला जलगॉव महाराष्ट्र
9. फातिमा बी पति सैयद फैयाज निवासी दरगाह अली, अमळनेर जिला जलगॉव महाराष्ट्र

——— उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

यह कि अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त शाहपुर जिला बुरहानपुर के रा.प्र.क्र 140—अ/27 सन 2015—16 (**हफीजा बेगम वि मोहीनउद्दीन**) मे पारित आदेश दिनांक 15.12.2016 से दुखी एवं पीडित होकर उक्त आदेश की वैधता एवं औचित्यता के संबध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 290—पीबीआर/17 [मोहिनउद्दीन/हफीजा बेगम [illegible]] जिला **बुरहानपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–5–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार वृत्त शाहपुर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र को इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि आवेदक की ओर से जिस आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है वह प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित नहीं है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	